

प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 01-11-2021

चोरी व टप्पेबाजी के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्री सोनम कुमार (आई0पी0एस0) पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व श्री विमल कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में प्र0नि0 कोतवाली कल्याण सिंह सागर मय टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 240/21 धारा 406,420, 411 भादवि व मु0अ0सं0 169/21 धारा 379,411 भादवि से संबंधित अभियुक्त को थाना क्षेत्र शास्त्री चौराहा नगर निगम गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.10.2021 को वादी जनपद महाराजगंज के तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 240/2021 धारा 406,420 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त ने वादी के समक्ष बताया कि वादी द्वारा उसे रुपयो के लालच मे घटना के समय 500 रुपये बतौर पुरस्कार भी दिया गया था जब अभियुक्त द्वारा वादी को लालची प्रावृती का होना पाये जाने पर घटना को कारित किया गया। का0 देवेन्द्र यादव थाना राजघाट द्वारा अभियुक्त का फोटो वादी मुकदमा को दिखाकर पहचान कराये जाने पर उक्त का0 को 1100 रुपया नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राघुवीर कुमार पुत्र तिलक कुमार निवासी लाल डिग्गी पार्क हरिजन बस्ती पुरानी जेल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- शास्त्री चौराहा नगर निगम गेट के पास

दिनांक 01.11.2021 समय 12.30 बजे

विवरण बरामदगी – घटना मे धोखा देकर देकर लिये गये रुपये 1700 नगद

अभियुक्त राघुवीर कुमार का आपराधिक विवरण-

मु0अ0सं0 240/21 धारा 406, 411, 420 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0 169/21 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 कल्याण सिंह सागरन – थाना कोतवाली, गोरखपुर।
2. उ0नि0 दया शंकर यादव – थाना कोतवाली, गोरखपुर।
3. का0 दुर्गेश सिंह – थाना कोतवाली, गोरखपुर।
4. का0 शिवम राय – थाना कोतवाली, गोरखपुर।